न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान हेमराज खटीक बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –226/2025
निर्णय दिनांक ......18/8/25......

हेमराज खटीक पुत्र मूला राम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 11 तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भूतीया पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खाता संख्या 113 के खसरा सं. 81/46 तादादी 2.0738 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हेमाराम पुत्र मूलाराम अंकित है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम हेमराज खटीक पुत्र मूला राम खटीक है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश राजस्व रिकार्ड में हेमाराम पुत्र मूलाराम दर्ज कर दिया व उसी आधार पर जमाबंदी में भी दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात में हेमराज खटीक पुत्र मूला राम खटीक अंकित है जो सही है। प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को के.सी.सी. कार्ड बनवाने आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा भूतीया पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खाता संख्या 113 के खसरा सं. 81/46 तादादी 2.0738 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम हेमराज खटीक पुत्र मूला राम खटीक किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम हेमाराम पुत्र मूलाराम व हेमराज खटीक पुत्र मूला राम खटीक दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हेमराज खटीक पुत्र मूला राम खटीक पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हेमाराम पुत्र मूलाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भूतीया पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खाता संख्या 113 के खसरा सं. 81/46 तादादी 2.0738 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हेमाराम पुत्र मूलाराम Delete कर इसके स्थान पर हेमराज खटीक पुत्र मूला राम खटीक अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......18/8/25...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajender
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)